"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 सितम्बर 2010—आश्विन 1, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक 11043/डी. 216/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-09-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय-दो

3. अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस)
4. अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने में असफल होने पर अर्थदण्ड (जुर्माना)
5. अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्ति के लिए शुल्क
6. अनुज्ञा पत्र की मंजूरी या अन्यथा
7. अनुज्ञा पत्र हेतु शर्तें
8. अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण
9. अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलम्बन
10. अपील
11. उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना का निरीक्षण

अध्याय-तीन

12. दण्ड और जुर्माना
13. उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के संबंध में प्रावधान
14. पंजीकृत सोसायटी द्वारा अपराध
15. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय की सक्षमता
16. अपराध की प्रकृति

अध्याय-चार

17. सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण
18. नियम बनाने की शक्ति
19. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त समझे जाने वाले संस्थान
20. निरसन

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010

उपचर्यागृहों तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना के अनुज्ञापन तथा उनके द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के मानकीकरण एवं उन्नयन की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों को उपबंधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (क) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(ग) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010.

(ख) "क्लिनिकल स्थापना" से अभिप्रेत है, मेडिकल लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी स्थापना अथवा क्लिनिक अथवा अस्पताल अथवा कोई अन्य स्थापना जो इनमें से किसी के भी सदृश्य हो और जिस किसी नाम से जाना जाता हो.

(ग) "क्लिनिक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा परिसर जिसमें किसी बीमार के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों और जो उनके प्रवेशन के लिए उपयोग में लाया जाता हो तथा ठहरने के लिए न हो.

(घ) "अस्पताल" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई परिसर जिसमें बीमारी के इलाज की सुविधाएं हों और जो उनके प्रवेशन या ठहरने के लिए उपयोग में लाया जाता हो.

(ङ) "प्रसूति गृह (मेटरनिटी होम)" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई परिसर जो गर्भवती महिलाओं अथवा प्रसव हेतु अथवा शिशु जन्म के तत्काल बाद महिलाओं के प्रवेशन के लिए उपयोग किया जाता हो या उपयोग किए जाने हेतु आशयित हो.

(च) "मेडिकल लेबोरेटरी" से अभिप्रेत है; योग्यता प्राप्त पैथालॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा संचालित ऐसी कोई स्थापना जहां बायो-मेडिकल टेस्ट, जैसे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजिकल टेस्ट, बैक्टिरियोलॉजिकल, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक परीक्षण अथवा कोई अन्य डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता हो.

(छ) "उपचर्या गृह" से अभिप्रेत है, एक ऐसा स्थान जहां सर्जरी रहित अथवा सर्जरी सहित अथवा प्रसूति कार्य का संचालन बीमारी के उपचार के लिए अंत:रोगी के रूप में एडमिशन (भर्ती) के लिए अन्त:रोगी सुविधाओं के साथ मरीजों का उपचार किया जाता हो तथा जिसमें अन्य स्त्री

रोग संबंधी आपरेशन भी शामिल है जहां महिलाओं को स्टरलाइजेशन, हिस्टिरेक्टॉमी अथवा गर्भ के चिकित्सकीय समापन करने इत्यादि, रात्रिकालीन अंत:रोग सुविधाओं के साथ अथवा के बिना, के प्रयोजन के लिए प्रवेश तथा स्थान दिया जाता हो. उपचर्या गृह में कोई अंत:रोगी मेडिकल क्लिनिक, उपचर्यागृह, मेटरनिटी होम, अस्पताल, वृद्धाश्रम और डे-केयर केन्द्र (कोई हस्तक्षेप जहां पर्यवेक्षण और सतत् सुरक्षा/निगरानी की आवश्यकता हो) शामिल होंगे.

(ज) "फिजियोथेरेपी स्थापना" से अभिप्रेत है, एक ऐसी स्थापना जहां मालिश (मसाज), इलेक्ट्रो-थेरेपी, हाइड्रो-थेरेपी, मेडिकल जिम्नास्टिक अथवा कोई अन्य इसी प्रकार की प्रक्रिया, रोग के निदान के प्रयोजन के लिए अथवा अशक्तता या सुधार के लिए हो चाहे वह आधुनिक चिकित्सा अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सामान्यतया कार्यान्वित किया जाता हो.

(झ) "अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, चिकित्सा व्यवसायी के पंजीयन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत के किसी भी राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी.

(ञ) "अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो डेण्टल कौंसिल अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो.

(ट) "रेडियोलॉजिस्ट" से अभिप्रेत है, चिकित्सा व्यवसायी जो रोग के निदान (डायग्नोसिस) और उससे संबंधित बीमारी के इलाज हेतु एक्सरे और रेडिएशन जैसे इमेजिंग टेक्नालॉजी का अध्ययन और अनुप्रयोग करते हों.

(ठ) "अर्हता प्राप्त मिडवाइफ" से अभिप्रेत है, कोई मिडवाइफ अथवा सहायक नर्स मिडवाइफ जो भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 48) की अनुसूची के भाग-I के खण्ड-ख या ग में, यथास्थिति सम्मिलित कोई भी अर्हता रखते हों तथा जो राज्य में मिडवाइफ के रूप में अथवा सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में नामांकित हो.

(ड) "अर्हता प्राप्त नर्स" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 48) की अनुसूची के भाग-I के खण्ड-क में सम्मिलित अर्हताएं रखता हो तथा जो नर्स के रूप में नामांकित हो.

(ढ) "रजिस्टर (पंजी)" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर (पंजी) तथा शब्द "पंजीकृत" और "पंजीयन" का तदानुसार अर्थ लगाया जायेगा.

(ण) "पर्यवेक्षी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकारी के सभी अथवा किसी भी कृत्यों के निष्पादन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति या प्राधिकारी.

(त) "सूचनीय रोग" से अभिप्रेत है, ऐसा रोग जिसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा की जाती है.

(थ) "प्रशिक्षित नर्स" से अभिप्रेत है, नर्स जिन्होंने शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थानों में छ: माह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो. वह केवल उपरोक्त यथा परिभाषित अर्हता प्राप्त नर्स के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी.

अध्याय-दो

अनुज्ञा-पत्र (लायसेंस). 3. कोई भी व्यक्ति, फार्मनी, निगमित निकाय अथवा संघ (एसोसिएशन)/भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) जो इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना स्थापित करने के इच्छुक हैं,

पर्यवेक्षी प्राधिकारी को ऐसे विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे जैसा कि विहित किया जाये. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को यदि यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञा पत्र की अभिप्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा कर लिया गया है, तो यथास्थिति उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा.

परन्तु यह और भी कि ऐसे सभी उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापनाएं जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले ही अस्तित्व में हो तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 90 दिवस के भीतर पर्यवेक्षी प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया है तो उन्हें अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा.

अनुज्ञा-पत्र अभिप्राप्त करने में असफल होने पर अर्थदण्ड (जुर्माना).

4. जो कोई भी इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त किये बिना चलाता है, तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा.

अनुज्ञा-पत्र अभिप्राप्ति के लिए शुल्क.

5. अनुज्ञा पत्र हेतु पर्यवेक्षी प्राधिकारी को दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन में ऐसा विवरण, सूचना अन्तर्विष्ट की जायेगी एवं ऐसा शुल्क संलग्न किया जायेगा जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जाये.

अनुज्ञा पत्र की मंजूरी या अन्यथा.

6. अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन के परीक्षण के आधार पर, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, आवेदक को अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा अथवा आवेदन निरस्त करेगा यदि यह पाया जाता है :—

(क) कि आवेदक अथवा उसके द्वारा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना में नियोजित कोई व्यक्ति, चाहे शैक्षणिक विशेषज्ञता होने के कारण हो या अन्यथा हो, जैसा कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना आवेदन में नामित (दिया गया) हो, इस प्रकार के विवरणों के उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना चलाने के लिए या नियोजित किये जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है; अथवा

(ख) कि आवेदक अथवा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, उन शर्तों को पूरा नहीं करते हों जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन विहित की गई हों; अथवा

(ग) कि आवेदक का वास्तविक उद्देश्य अपने उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को असामाजिक/गैर कानूनी अथवा अनैतिक प्रयोजनों अथवा दोनों के लिए उपयोग में लाने का या उपयोग में लाये जाने के लिए अनुमति देने का है; अथवा

(घ) प्रसूति गृह से भिन्न उपचर्यागृह के मामले में, कि उपचर्यागृह उसमें निवास करने वाले अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के प्रभार के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा और उन व्यक्तियों जिनको उसमें प्रवेश तथा स्थान दिया जाता है, उसमें निवास करने वाली अर्हता प्राप्त नर्स के अधीक्षण के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा; अथवा

(ङ) प्रसूति गृह के मामले में, कि ऐसे प्रसूति गृह अर्हता प्राप्त मिड वाईफ के प्रभार के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा तथा यह कि प्रसूति (बच्चे के जन्म) के पूर्व, प्रसूति के समय या प्रसूति के पश्चात् प्रत्येक स्त्री पर या किसी बच्चे के जन्म पर सेवा परिचर्या, उसमें निवास करने वाली अर्हता प्राप्त मिड वाईफ के अधीक्षण के अधीन नहीं है या नहीं होगी; अथवा

(च) कि स्थिति, सन्निर्माण, स्थान (एकोमोडेशन), कर्मचारीवृन्द अथवा उपस्कर संबंधी कारणों के लिए उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, जैसा कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना आवेदन में उल्लिखित हो, इस प्रकार के विवरणों के उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, उपयोग में लाये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है और ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां आवेदन निरस्त किया जाता है, निरस्त करने के आधारों को अभिलिखित करेगा.

अनुज्ञा पत्र हेतु शर्तें.

7. धारा 6 (क) के अधीन मंजूर किये जाने वाला प्रत्येक अनुज्ञा पत्र, ऐसे निबंधनों पर होगा जो कि विहित किये जायें और ऐसे निबंधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षित की जा सकेंगी :—

(क) सुरक्षा के लिए ऐसे पूर्वोपाय का अवलोकन किया जाना है कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, गैर कानूनी/असामाजिक अथवा अनैतिक प्रयोजनों के लिए अथवा दोनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती;

(ख) ऐसे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी उपायों का किया जाना तथा ऐसे स्थान की व्यवस्था किया जाना जो कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ग) ऐसे न्यूनतम उपस्कर का प्रबंध किया जाना जो कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये;

(घ) प्रत्येक अनुज्ञप्त उपचर्यागृह, ऐसे अभिलेखों का रखरखाव (अनुरक्षण) करेगा जैसा कि विहित किया जाये, तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त पर्यवेक्षी प्राधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी को इन अभिलेखों के जांच और परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे. जन्म, मृत्यु, गर्भपात, (चिकित्सीय गर्भ समापन) के संबंध में सावधिक सूचना के अलावा सूचनीय रोगों और कोई अन्य सूचना, जब अपेक्षित हो अथवा जैसा विहित हो, पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.

अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण.

8. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा (6) के अधीन मंजूर अनुज्ञा पत्र की आरंभिक वैधता 5 वर्षों की होगी.

प्रत्येक पांच वर्षों के बाद इस अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण हेतु पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रक्रिया, जैसा कि विहित किया जाए, का अनुसरण करते हुए अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण या अन्यथा कर सकेगा.

अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलम्बन.

9. यदि किसी भी समय, पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि,

(1) अनुज्ञप्त उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना ने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञापन के समय विनिर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन किया है अथवा अनुपालन नहीं किया है; अथवा

(2) किसी अनुज्ञप्त उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष पाया है, तो वह उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, अनुज्ञा पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकेगा.

(3) **अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने से पूर्व नोटिस दिया जाना**—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यवेक्षी प्राधिकारी उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को 30 दिनों की नोटिस देंगे जिनका अनुज्ञा पत्र निरस्त या निलंबित किया जाना हो. नोटिस में ऐसे कारण तथा आधार अंतर्विष्ट होंगे जिसके आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त या निलम्बित किया जाना है. यदि नोटिसी इस प्रकार अनुरोध करता है तो नोटिस के बचाव में सुनवाई के लिए, निजी सुनवाई भी मंजूर की जा सकेगी.

यदि उपरोक्त उल्लिखित आगामी प्रक्रिया और नोटिसी के प्रकरण की सुनवाई के बाद, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, अनुज्ञा पत्र को निरस्त या निलम्बित करने का निर्णय लेते हैं तो वह इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा जिसमें अनुज्ञा पत्र को ऐसे निरस्त या निलम्बित करने के कारणों को अन्तर्विष्ट करेगा.

अपील.

10. अनुज्ञा पत्र के अस्वीकार, निरस्त अथवा निलंबन करने संबंधी पर्यवेक्षी प्राधिकारी के आदेश से व्यथित

कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख के बाद 30 दिनों की कालावधि के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा.

(क) राज्य शासन, इस सम्बन्ध में इसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी प्राधिकारी के मार्फत अपील की सुनवाई करेगा.

(ख) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस सम्बन्ध में राज्य शासन के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी.

उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना का निरीक्षण.

11. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अधिकारी :—

(क) किसी भी समय, रात हो या दिन, सूचना के साथ अथवा सूचना के बिना, किसी भी ऐसे स्थान या स्थापना में, प्रवेश कर सकता है, जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना के रूप में उपयोग किया जा रहा है.

(ख) ऐसे किसी भी स्थान अथवा स्थापना का परीक्षण कर सकता है और उसमें पाये गये किसी उपस्कर, वस्तु अथवा दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे किसी भी उपस्कर, वस्तु या दस्तावेज को परीक्षण, विश्लेषण, अन्वेषण या साक्ष्य के प्रयोजन के लिए जैसा कि आवश्यक समझे अधिग्रहण (जप्त) कर सकेगा तथा वहां से बाहर ले जा सकेगा और उन्हें ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के लिये प्रतिधारित कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे.

(ग) ऐसे स्थान या स्थापना में पाये जाने वाले किसी व्यक्ति से ऐसी पूछताछ तथा ऐसे प्रश्न कर सकेगा जैसा कि वह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि क्या यह स्थान या स्थापना उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना के रूप में उपयोग में लाई जा रही है या नहीं.

(2) परन्तु यह और कि, यदि कोई व्यक्ति विधिवत् रूप से सशक्त प्राधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालता है तो, यह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं. 45) की सुसंगत धारा के अधीन दण्डनीय होगा.

अध्याय-तीन

दण्ड और जुर्माना.

12. (क) (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा.

(2) यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथानिर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

(3) यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, अभिलेख या जानकारी (सूचना) प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विधिवत् रूप से प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित है तो प्रत्येक अपराध के लिए 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

(ख) **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि,** — यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, धारा 12 (क) के अधीन कोई अपराध करता है तो केवल उनके पहले अपराध के लिए निर्धारित किये गये जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

परन्तु यह और कि, यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को धारा 12 (क) के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो तीन वर्ष तक के कारावास, अथवा 50,000 रुपये के जुर्माने, अथवा दोनों के लिए भागी होंगे.

उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के संबंध में प्रावधान.

13. (अ) यदि किसी उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर उपेक्षा का कोई कृत्य किया जाता है तो यह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्षों तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा तथा जुर्माने से भी जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(ब) यदि कोई भी व्यक्ति रोगी के उपचार/भर्ती के संबंध में उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के कृत्य से व्यथित होता है, तो वह छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि को रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) की धारा 7 (1) के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी/समिति के समक्ष ऐसी रीति से परिवाद/शिकायत कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए.

(स) अपीलीय प्राधिकारी/समिति ऐसे परिवाद/शिकायत की प्राप्ति पर उसकी जांच की कार्यवाही करेगा तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर निष्कर्ष के साथ अपनी संस्तुतियां संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करेगा.

(द) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, अपीलीय प्राधिकारी से ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा तथा यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के विरुद्ध स्वैच्छिक उपेक्षा का कृत्य प्रमाणित है, तो वह उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के विरुद्ध धारा 13 (अ) के अंतर्गत यथा विहित कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अग्रसर होगा.

पंजीकृत सोसायटी द्वारा अपराध.

14. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध, कम्पनी अथवा निगमित सोसायटी अथवा संघ (एसोसिएशन) द्वारा किया गया हो साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किये जाने के समय अपने व्यवसाय के संचालन का प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने का भागी होगा.

परन्तु, इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किये गये किसी भी दण्ड के लिए भागी नहीं बनायेगी. यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या कि ऐसे अपराध के किये जाने की रोक के लिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी.

(2) उपरोक्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन, अपराध किसी कम्पनी या सोसायटी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति अथवा मौनानुकूलता से किया गया है अथवा यह कि अपराध उनकी ओर से की गई किसी उपेक्षा (लापरवाही) के कारण हुआ है तो ऐसे संचालक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी को भी इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने का भागी होगा.

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय की सक्षमता.

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा.

अपराध की प्रकृति.

16. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे.

अध्याय-चार

सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण.

17. (1) किसी ऐसी बात के द्वारा जो कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या किया जाना आशयित हो, किसी कारण से की गई या किसी कारण से की जाने वाली किसी हानि या नुकसान के संबंध में शासन के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

(2) किसी भी प्राधिकारी या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी बात के संबंध में जो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

18. (1) राज्य शासन अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी एक विषय के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के अधीन दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप ऐसी तारीख जिस पर ऐसा आवेदन दिया जाना है, तथा अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण अथवा ऐसे अनुज्ञा पत्र के लिये भुगतान की जाने वाली फीस.

(ख) विशिष्टियां जो धारा 5 के अधीन आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगी और शुल्क जो ऐसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा.

(ग) शर्तें जिन्हें आवेदक तथा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, धारा 3 और अनुज्ञा पत्र के प्रमाण पत्र के प्ररूप के अधीन पूरा करेंगे.

(घ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपील हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क तथा अपील हेतु प्रक्रिया.

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर या रजिस्टरों का प्ररूप.

(च) उन मरीजों के जिन्हें उपचर्यागृह में प्रवेश दिया गया है, तथा प्रसूति गृह के मामले में, उपचर्यागृह में होने वाले गर्भपात, गर्भस्त्रोवों या मृत बच्चों (स्टिल बर्थ्स) के तथा उसमें जन्में बच्चों के और इस प्रकार जन्में ऐसे बच्चों के जो उपचर्यागृह से किसी माता या पिता, संरक्षक या रिश्तेदार की अभिरक्षा या देखभाल में रखने की अपेक्षा अन्यथा हटाये जाते हैं, अभिलेखों का रखा जाना.

(छ) स्थान, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं तथा न्यूनतम उपस्करों के संबंध में शर्तें.

(ज) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना हो या किया जा सकेगा.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात् शीघ्र ही, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा.

इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त समझे जाने वाले संस्थान.

19. (क) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रशासित कोई उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, और/अथवा

(ख) भारतीय उन्माद अधिनियम (इंडियन ल्यूनेसी एक्ट), 1912 (1912 का सं. 4) के अ स्थापित अथवा अनुज्ञप्त कोई आश्रम, अथवा.

(ग) कुष्ठ अधिनियम, (लेपर्स एक्ट) 1893 (1893 का सं. 3) के अधीन नियुक्त, स्थापित अ अनुरक्षित कोई कुष्ठ आश्रम, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त समझे जाएंगे.

निरसन. 20. छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनिय 1973 (1973 का सं. 47) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक 11043/डी. 216/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिका एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-स

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2010)

THE CHHATTISGARH STATE UPCHARYAGRIHA TATHA ROGOPCHAR SAMBANDHI STHAPANAYE ANUGYAPAN ADHINIYAM, 2010

CONTENTS

Section

CHAPTER-I

1. Short tile, extent and commencement.
2. Definitions

CHAPTER-II

3. License
4. Penalty for failure to obtain license
5. Fee for obtaining license
6. Grant of License or otherwise
7. Conditions for licensing
8. Renewal of license
9. Cancellation or suspension of license
10. Appeal.
11. Inspection of nursing home or clinical estblishment

CHAPTER-III

12. Penalties and fine
13. Provision as to willful negligence by Nursing Home/Clinical Establishment
14. Offence by Registered Society
15. Court competent to try offences undet this Act
16. Nature of offence

CHAPTER-IV

17. Protection of action taken in good faith
18. Power to make rules*
19. Institution deemed to be licensed under this Act
20. Repeal

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2010)

THE CHHATTISGARH STATE UPCHARYAGRIHA TATHA ROGOPCHAR SAMBANDHI STHAPANAYE ANUGYAPAN ADHINIYAM, 2010

An Act to provide for licensing of Nursing Home and Clinical Establishment and for matters connected therewith to ensure standardization and thereby achieving improvement of health care services.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I

Short title, extent and commencement.

1. (a) This Act may be called the Chhattisgarh State Upcharyagriha Tatha Rogopchar Sambandhi Sthapanaye Anugyapan Adhiniyam, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Chhattisgarh State Upcharyagriha Tatha Rogopchar Sambandhi Sthapanaye Anugyapan Adhiniyam, 2010.

(b) "Clinical establishment" means a medical laboratory, a Physiotherapy establishment or clinic or a Hospital or any other establishment analogous to any of them, by whatever name called.

(c) "Clinic" means any premise having facilities for treatment of sick and used for their reception and not stay.

(d) "Hospital" means any premise having facilities for treatment of sick and used for their reception or stay.

(e) "Maternity Homes" means any premise used or intended to be used for the reception of pregnant women or women for delivery or immediately after childbirth.

(f) "Medical Laboratory" means an establishment manned by qualified pathologist and radiologist where Bio-Medical tests such as hematology, biochemistry, serological tests, bacteriological, cytology, histology genetic investigations or any other diagnostic tests are carried out.

(g) "Nursing Home" means a place where patients are treated as inpatients with facilities for admission as inpatients for treatment of illness without or with surgery or conduct of delivery and also includes other gynaecological operations where women are received or accommodated for the purpose of sterilization, hysterectomy, or medical termination of pregnancy etc. with or without overnight inpatient facilities. Nursing Home would include any inpatient medical clinic, nursing home, maternity home, hospital, old age homes and day care centers (any intervention which would require observation and ongoing care/monitoring).

(h) "Physiotherapy Establishment" means an establishment where massaging, elector-therapy, hydro-therapy, medical gymnastics or any other similar processes are usually carried on, for the purpose of treatment of disease or of infirmity or for improvment whether by modern medicine or Indian system of medicine.

(i) "Qualified Medical Practitioner" means a medical practitioner registered in any State in India under any law for the time being in force for the registration of medical practitioners.

(j) "Qualified Dentist" means a person possessing qualification recognized by the Dental Council Act.

(k) "Radiologist" means a medical practitioner that deals with the study and application of imaging technology like X-ray and radiation to diagnose and treat disease related therewith.

(l) "Qualified Midwife" means a midwife or an auxiliary nurse-midwife who possesses any of the qualifcations included in section B or C, as the case may be, of part I of the Schedule to the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), and who is enrolled as a mid-wife or as an auxiliary nurse-midwife in a State.

, extent mence-

(m) "Qualified Nurse" means a person who possesses the qualifications included in section A of Part I of the Schedule to the Indian Nursing Council Act 1947 (48 of 1947) and who is enrolled as a nurse.

(n) "Register" means a register maintained under this Act and the expression "registered" and "registration" shall be construed accordingly.

(o) "Supervisory Authority" means the person or authority appointed by the State Government by notification to perform all or any of the functions of the supervising authority as specified under this Act.

(p) "Notifiable disease" means a disease which a Registered Medical Practitioner is required to notify to the Chief Medical and Health Officer of his area under the law for the time being in force.

(q) "Trained Nurse" means nurses who have taken training of six months duration at government recognize institutions. She will only work under the supervision of qualified nurse as above defined.

CHAPTER-II

License.

3. Any person, company, corporate body or association/partnership firm who intend to setup a nursing home or a clinical establishment as defined in this Act shall apply to the supervisory authority along with the details as may be prescribed. The supervisory authority shall grant license to the nursing home or a clinical establishement as the case may be if it is satisfied that the eligibility norms for obtaining the license are; fulfilled by the applicant.

Provided further that all nursing homes or clinical establishment which are already in existence on the date of commencement of this Act, shall apply to supervisory authority within 90 days of commencement of this Act. The supervisory authority shall grant them license if it is satisfied that the applicant fulfills the norms prescribed in this regard.

Penalty for failure to obtain license.

4. Whoever runs a nursing home or a clinical establishment as defined in this Act without obtaining a license shall be punishable with a fine of Rs. 20,000.

Fee for obtaining license.

5. Every application for license made to the supervisory authority, shall contain such particulars, information and shall be accompanied by such fee as may be prescribed in this regard.

Grant of license or otherwise.

6. On the basis of the examination of the application for license, the supervisory authority, shall grant license to the applicant or reject the application if it is found :—

(a) That the applicant, or any person employed by him at the nursing home or the

clinical establishment, is not a fit person, whether by reason of expertise qualification or otherwise to carry on or to be employed at the nursing home or the clinical establishments of such a description as the nursing home or clinical establishment named in the application; or

(b) That the applicant or the nursing home or the clinical establishment does not fulfil the conditions which have been prescribed under this Act or any rule made there under; or

(c) That the real object of the applicant is to use, or allow the nursing home or clinical establishment to be used, for antisocial/unlawful or immoral purposes or for both; or

(d) In case of a nursing home other than a maternity home, that the nursing home is not or will not be under the charge of a qualified medical practitioner resident therein and that the nursing of persons received and accommodated therein is not or will not be under the superintendence of a qualified nurse resident therein; or

(e) In the case of a maternity home that such maternity home is not or will not be under the charge of a qualified midwife and that the attendance on every woman before, at or after child birth or on any child born is not or will not be under superintendence of a qualified midwife resident therein;or

(f) That for reasons connected with the situation, constructions, accommodation, staffing or equipment, the nursing home or clinical establishment is not fit to be used for a nursing home or clinical establishment of such a description as the nursing home or the clinical establishment mentioned in the application, and shall in every case, where the application is rejected, record the grounds of rejection.

Conditions of licensing.

7. Every license granted under section 6 (a) shall be upon such terms as may be prescribed and such terms may, inter alia, require :—

(a) Such precautions to be observed for safe guarding that the nursing home or the clinical establishment is not used for unlawful/anti-social or immoral purposes or both;

(b) Such sanitary and hygienic measures to be taken and such accommodation to be provided as may be specified by the supervisory authority;

(c) Such minimum equipment to be provided as may be specified by the supervisory authority in this behalf;

(d) Every licensed nursing home shall maintain such records as may be prescribed and shall produce these records for inspection and examination to the supervisory authority or any other officer duly empowered by him under this act or rules made there under. Apart from these periodical information in respect of births, deaths, miscarriages, (Medical Termination of Pregnancy) notifiable disease and any other information shall be submitted to the supervisory authority as and when required or prescribed.

Renewal of license.

8. Notwithstanding anything contained in this Act or any rules made there under, the license granted undersection (6) of this Act, shall have an initial validity of 5 years.

After every five years this license shall be put up for renewal before the supervisory authority, who may renew or otherwise the license by following the procedure as may be prescribed.

Cancellation or Suspension of license.

9. If at any time, it is found by the supervisory authotrity that,—

(1) A licensed nursing home or clinical establishment has contravened or not complied with any provision of this Act or any rule made thereunder or any condition specified at the time of licensing; or

(2) A licensed nursing home or clinical establishment has been convicted of an offence punishable under this Act, he may after giving, the nursing home or a clinical establishment, a reasonable opportunity of being heard, cancel or suspend the license.

(3) **Notice to be given before cancellation of license—** Notwithstanding anything contained in this Act, the supervisory authority shall give a 30 days' notice to the nursing home or a clinical establishment whose license is sought to be cancelled or suspended. The notice shall contain the reason and ground on the basis of which the license is sought to be cancelled or suspended. If the noticee so requests, a personal hearing may also be granted to hear the defence of the noticee.

If after following the above mentioned procedure and hearing the case of the noticee, the supervisory authority decide to cancel or suspend the license, he shall pass a speaking order to this effect which shall contain the reasons for such cancellation or suspension of license.

Appeal.

10. Any person aggrieved by an order of the supervisory authority refusing, cancelling or suspending the license may, within a period of 30 days after the date of such order may file an appeal to the State Government.

(a) The State Government shall hear the appeal through an authority duly empowered by it in this regard.

(b) Notwithstanding anything contained in this Act, no appeal shall lie in any court against the order of the State Government in this behalf.

Inspection of nursing homes or clinical establishment.

11. (1) Subject to the provisions of the rules made under this Act, any officer duly authorized by the state Govrenment in this behalf may :—

(a) Enter at any time by night or by day, with or without notice, any palce or establishment, which he has, reason to believe is being used as a nursing home or clinical establishment.

(b) Make examination of the place or establishment and inspect any equipment, article or document found therein and seize and take out there from any such equipment, article or document, as he deems necessary for the purpose of examination, analysis, invesigation or evidence and retain them for such reasonable period as he thinks necessary.

(c) Make such inquiries, and put such question to any person found in such place or establishment as he deems necessary in order to ascertain whether the place or the establishment is being used as a nursing home or clinical establishment or not.

(2) Provided further that, if any person obstructs the lawfully empowered authority in discharge of their duties, it shall be punishable under the relevant section of the Indian penal Code (No. 45 of 1860).

CHAPTER-III

Penalties and Fine.

12. (A) (1) Whoever contravenes the provision made with regard to licensing under this Act or any rules made there under, shall be punishable with a fine of Rs. 20,000.

(2) If a nursing home or a clinical establishment does not fulfill the eligibility norms as prescribed in this Act or rules made there under, it shall be punishable with a fine of Rs. 20,000.

(3) If a nursing home or a clinical establishment fails to submit records or information which are lawfully required to be submitted under this Act or rules made there under, it shall be punishable with a fine of Rs. 5000, for each offence.

(B) **Conviction for offence under this Act** —If a nursing home or a clinical establishment commits an offence under section 12 (A), shall be punishable with prescribed fine only for the first offence.

Provided further that, if a nursing home or a clinical establishment is convicted of an offence under section 12 (A) for the second time, it shall be liable for the imprisonment up to three years, or with fine of Rs. 50,000, or with both.

Provision as to willful negligence by Nursing Home/Clinical Establishment.

13. (A) If any act of willful negligence is committed by any Nursing Home/Clinical Establishment it shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Ten Thousand rupees but which may extend to Fifty Thousand rupees.

(B) A person aggrieved by the Act of willful negligence by Nursing Home/Clinical Establishment with respect to the treatment/admission of a patient may make a complaint to the appellate authority/committee constituted under section 7 (1) of the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010 (No. 11 of 2010) in the manner as may be prescribed.

(C) The appellate authority/committee on receipt of such a complain shall proceed to examine it and after giving both the parties, a reasonable opportunity of being heard, shall submit its findings along with recommendations to the Director of Health Sevices, Government of Chhattigarh.

(D) The Director of Health Services on receipt of such a report from the appellate Authority shall examine it and if he is satisfied that an act of willful negligence has been established against the Nursing Home/Clinicle Establishment, shall proceed to intiate legal action against Nursing Home/Clinical Establishment as prescribed under section 13 (A).

Offences by Registered Society.

14. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company or a corporate society or association as well as every person incharge or responsible to, the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that, nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act. If he proves that the offence was committed without his knowldge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything cotained above, where an offence under this Act has been committed by a company or society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Court competent ot try offences under this Act.

15. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), no court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act.

Nature of offence.

16. All offences under this Act shall be cognizable and bailable.

CHAPTER-IV

Protection of action taken in good faith.

17. (1) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rule made there under.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any authority or any officer authorized in this behalf by the State Government in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rule made there under.

Power to make rules.

18. (1) The State Government may, by notification and subject to condition of previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) The form of the application to be made under section 3 the date on which such application is to be made and the fees to be paid for such license or renewal of license.

(b) The particulars which an application under section 5 shall contain and the fee with which such application shall be accompanied.

(c) The conditoins, which an applicant and a nursing home or a clinical establishment shall fulfill under section 3 and the form of certificate of license.

(d) The fees to the paid for an appeal under section 10 of the Act and procedure for appeal.

(e) The form of the register or registers to be maintained under this Act.

(f) The records to be kept of the patients received in a nursing home and in the case of the maternity home miscarriage, abortions or still-births occurring in the nursing home and of the children born therein and of the children so born who are discharged from the nursing home otherwise than to the custody or care of any parent, guardian or relative.

(g) The conditions regarding accommodation, sanitary and other facilities and minimum equipment's.

(h) Any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

Institution deemed to be licensed under this Act.

19. (a) Any nursing home or clinical establishment administered by the Central or the State Government or any local authority, and/or

(b) Any any asylum established or licensed under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), or

(c) Any leper asylum appointed, established or maintained under the Lepers Act, 1893 (No. 3 of 1893), shall be deemed to be licensed under this Act.

20. The Chhattisgarh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registration Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.